

7.04.2015 को नई दिल्ली में आयोजित (i) नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आकलन के लिए गठित उप-समिति और (ii) सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति की तृतीय संयुक्त बैठक की कार्यवृत्त।

7.04.2015 को नई दिल्ली में श्री बी.एन नवलावाला, मुख्य सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय के अध्यक्षता के अंतर्गत (i) नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति और (ii) सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति की तृतीय संयुक्त बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में उपस्थित रहने वाले सहभागियों की सूची संलग्नक-1 में प्रदान की गई है। इस बैठक में चर्चित महत्वपूर्ण मुद्दों का सार नीचे दिया गया है:-

1. द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांकित मार्च 17, 2015 पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को 11.3.2015 को आयोजित (i) नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति [उप-समिति-(i)] के द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त परिचालित किया गया था; और दिनांकित मार्च 19, 2015 पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को 12.3.2015 को आयोजित (ii) सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति (उप-समिति-(ii)) के बैठक का कार्यवृत्त परिचालित किया गया।

प्रोफेसर पी.बी.एस शर्मा, उप-समिति (ii) के अध्यक्ष ने इस समिति के पिछले बैठक के महत्वपूर्ण परिणामों की सूचना प्रदान की और यह बताया कि उप-समिति की विचारणीय विषय-1, अर्थात् "विशेषज्ञ निकायों के सभी रिपोर्टों और नदियों के अंतर्गर्जन के संबंध में प्रादेश याचिका के लम्बमानता के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर स्थिति रिपोर्टों", न.के.अं की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति के विचारणीय विषय 1 और 3 से मेल खा रही है। श्री बी.एन नवलावाला, मुख्य सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय ने उल्लेख किया कि यदि किसी भी दो उप-समितियों के विचारणीय विषय आपस में मेल खाते हैं, तो दोनों समितियों के परस्पर परामर्श से इसका परिहार किया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया कि उप-समिति ii के विचारणीय विषय संख्या 1 से संबंधित कार्यों का निष्पादन उप-समिति i द्वारा उसके विचारणीय विषय संख्या 1 और 3 के तहत किया जाएगा।

2. नदियों के अंतर्गर्जन की परियोजना पर कार्यबल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा

श्री के.पी गुप्ता, अधीवीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ और उस समय (2004) के न.के.अं की परियोजना पर गठित कार्यबल द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों/ सुझावों के समिति के सचिव द्वारा एक पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण पेश किया गया था। उस प्रस्तुतीकरण की एक प्रति **संलग्नक-II** पर संलग्न है। उप-समिति ने नदियों के अंतर्गर्जन की परियोजना के कार्यबल पर की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की।

यह बताया गया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि.प.रि) के तैयारी हेतु कार्य बल ने विचारणीय विषय तैयार करवा लिया है। ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय के मुख्य सलाहकार ने पूछा कि क्या राज्य सरकारों ने इन दिशा-निर्देशों को अर्थतः स्वीकार किया है। यह सूचित किया गया कि ज.सं.मं के अनुमोदन से इन विचारणीय विषयों को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद, ज.सं.मं द्वारा विधिवत अनुमोदित अं.ज.ज.अं की वि.प.रि तैयारी के लिए सामान्य विचारणीय विषयों को भी रा.ज.वि.अ के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था। अतः, अं.ज.ज.अं की वि.प.रि तैयारी के लिए सामान्य विचारणीय विषय सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और सभी पणधारी इसे सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट

किया गया कि ये विचारणीय विषय भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के सिंचाई एवं बहु-कार्य परियोजनाओं के वि.प.रि के दिशा-निदेशों (2010) के अनुरूप है।

जब रा.ज.वि.अ ने कार्यबल द्वारा निर्मित विचारणीय-विषयों के उपयोग से केन-बेतवा लिंक की वि.प.रि तैयार करने का कार्य आरंभ किया, तब केन-बेतवा लिंक परियोजना का विशिष्ट विचारणीय विषय तैयार किया गया और ज.सं.मं को जमा किया गया था। ज.सं.मं द्वारा विधिवत अनुमोदित केन-बेतवा लिंक की विचारणीय विषय (वि.वि) तथा वि.प.रि को रा.ज.वि.अ के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था। श्री ए.डी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने बताया कि के.ज.आ के अध्यक्षता के तहत मौजूद तकनीकी सलाहकारी समिति (त.स.स) रा.ज.वि.अ के सभी तकनीकी कार्यों के निष्पादन और साथ ही विकास के अंतिम चरण, अर्थात् ई 2050 में जलाशय/ उप-जलाशय अनुसार जल उपलब्धता और अधिशेष जल / जल अभाव पर कार्य करने के लिए भिन्न नियमों/ दिशा-निदेशों का निर्णय करने में रा.ज.वि.अ का मार्ग दर्शन कर रहा है। रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने सूचित किया कि सभी संबंधी राज्यों द्वारा रा.ज.वि.अ के त.स.स का प्रतिनिधित्व किया गया है और समिति के सदस्यों को भी यह उपलब्ध करवाया जा सकता है। मुख्य सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय ने इच्छा प्रकट की कि अगली बैठक के दौरान रा.ज.वि.अ द्वारा सभी सदस्यों को त.स.स दिशा-निदेश उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और रा.ज.वि.अ के त.स.स के दिशा-निदेशों और किसी नदी जलाशय में जल संतुलन/ जल अभाव के गणना की प्रक्रिया को कवर करता हुआ एक प्रस्तुतीकरण पेश करना चाहिए। अध्यक्ष ने सदस्यों से त.स.स दिशा-निदेशों को पढ़ने का अनुरोध किया।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से न.के.अं की परियोजना के कार्यबल द्वारा निर्मित न.के.अं के कार्यक्रम का आर्थिक प्रभाव रिपोर्ट पर भी विस्तार में चर्चा की गई। समिति के सदस्यों के राय में न.के.अं के कार्यक्रम को लिंक परियोजनाओं (अंतर-निर्भर/ स्वतंत्र) के छोटे-छोटे समूहों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए और इन छोटे समूहों वाले लिंक परियोजनाओं का आर्थिक प्रभाव आंकलन किया जाना चाहिए।

उप-समितियों ने, सभी संबंधी मंत्रालयों के तरफ से वि.प.रि के अनुमोदन के पश्चात परियोजना के शुरुआत के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एक संस्थान स्थापित करने के लिए उपलब्ध भिन्न विकल्पों पर चर्चा की। रा.ज.वि.अ को न.के.अं की परियोजना के संस्तुतियों, सांविधिक प्रावधानों और इस्तेमाल किए जा सकने वाले वित्तीय प्रपत्रों के सन्दर्भ में एक व्यापक सूचना तैयार करने का सलाह दिया गया।

3. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किए गए शपथ-पत्र इत्यादि पर विचार-विमर्श

2002 के प्रादेश याचिका संख्या 668 सहित नदियों के अंतर्योजन पर 2002 के प्रादेश याचिका (सिविल) संख्या 512 के लम्बमानता के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर शपथ-पत्रों/ प्रति शपथ-पत्रों के विषय में एक अन्य पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण पेश किया गया। **संलग्नक-III** में इस प्रस्तुतीकरण की एक प्रति **संलग्न** है। बैठक में समादेश याचिका पर सुनवाई के दौरान समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए भिन्न आदेश और इन आदेशों पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाहियां प्रस्तुत की गई थी। 27.2.2012 को पारित माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में समाविष्ट भिन्न दिशा-निदेश भी प्रस्तुत किए गए।

4. केन-बेतवा लिंक की स्थिति

रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I और चरण-II के वि.प.रि पर एक प्रस्तुतीकरण पेश की। इस प्रस्तुतीकरण की एक प्रति **संलग्नक-IV** के रूप में **संलग्न** है। रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने बताया कि केन-बेतवा चरण-I परियोजना की वि.प.रि वर्ष 2010 में ही पूरा किया जा चुका है और के.ज.आ द्वारा इसका तकनीकी-आर्थिक

मूल्यांकन भी पूरा किया जा चुका है। राज्य सरकार के संबंधी विभागों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ पर्यावरण अनुमति से संबंधित मुद्दों का अनुसरण किया जा रहा है और जुलाई 2015 तक परियोजना के लिए अनुमति प्राप्त करने का कार्य पूरा हो जाने की आशा है। केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यकारी प्राधिकरण, इसका वित्त-पोषण इत्यादि जैसे अन्य मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। प्रोफ़ेसर पी.बी.एस शर्मा ने यह भी कहा कि समिति को इस क्षेत्र में आवश्यक महारत प्राप्त तकनीकी सलाहकारों की सहायता की आवश्यकता है। रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने उत्तर दिया कि इस संबंध में मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव जमा किया गया है और उनसे उत्तर मिलने की प्रतीक्षा है। क्योंकि सदस्यों ने वि.प.रि में उपयोग किए गए पद्धतियों के बारे में कई प्रश्न पूछे, अतः यह निर्णय लिया गया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I और चरण-II की अगली बैठक में रा.ज.वि.अ एक अन्य पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण पेश करेगा, जिसमें निम्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा:-

- (i) परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र और परियोजना जीवन के दौरान कई वर्षों में सिंचाई क्षमता उपयोग की अनुमानित सीमा द्वारा प्रभावित सिंचित क्षेत्र
- (ii) भू-उपयोग के संदर्भ में परियोजना क्षेत्र में प्रस्तावित शस्य प्रारूप और भू सिंचनीयता वर्गीकरण
- (iii) क्या परियोजना क्षेत्र में मिट्टी का सर्वेक्षण किया गया है या नहीं
- (iv) परियोजना क्षेत्र में भू-जल का संयोजक उपयोग
- (v) परियोजना से और परियोजना के बिना लाभ
- (vi) क्या प्रस्तावित बाँध के अनुप्रवाह में नदी में पर्यावरणीय उद्देश्यों हेतु जल आवश्यकता पर विचार किया गया है
- (vii) परियोजना की जल योजना
- (viii) लाभ-लागत अनुपात की गणना
- (ix) केन-बेतवा लिंक के परियोजना क्षेत्र पर आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, जनता से कितने सुझाव मिले थे और प.प्र.आं रिपोर्ट में इनमें से कितने सुझावों के समावेशन पर रा.ज.वि.अ ने सहमती दी है। क्या इन सुझावों को शामिल करने से वि.प.रि में कोई परिवर्तन करना होगा?
- (x) महत्वपूर्ण आंकड़ों के विषय में अन्य लोगों द्वारा की गई टिप्पणी और समाज को प्रभावित करने वाले कारकों का अनुमान और वि.प.रि में प्रक्षेपित लाभ-लागत अनुपात।

5. भिन्न लिंकों के प्रणाली अध्ययन की आवश्यकता

- (i) रा.प.यो के अंतर्गत भिन्न लिंकों का तंत्र अध्ययन निष्पादन करने के मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया था। सदस्यों को अवगत कराया गया कि भिन्न वैकल्पिक योजनाओं पर विधिवत विचार करते हुए और सबसे उपयुक्त योजना को अपनाते हुए जो वि.प.रि तैयार हो चुके हैं/ जिनकी तैयारी ज़ारी है, उन वि.प.रि, अर्थात् केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I और चरण-II और दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना, को पूरा किया गया है। यह सहमती जताई गई कि इन लिंकों का प्रणाली अध्ययन दुबारा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे सारी प्रक्रिया दुबारा से शुरू करनी होगी और जिससे और अधिक विलंब होगा।

जिन लिंक प्रस्तावों की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो चुकी है, उनकी वि.प.रि तैयार करने से पहले उन लिंकों पर समिति द्वारा प्रणाली अध्ययन किए जाने पर सहमति दी गई।

6. सर्व-सम्मति निर्माण

श्री ए.सी. त्यागी, महासचिव, अं.सिं.ज.आ ने सूचित किया कि नदियों के अंतर्गर्जन की परियोजना पर पूर्व संगठित कार्यबल (2002) की एक महत्वपूर्ण संस्तुति भिन्न पणधारियों के मध्य शीघ्र ही मतैक्यता हासिल करने से संबंधित थी, किन्तु 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस सन्दर्भ में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उप-समिति आरंभ से इसकी शुरुआत करना चाहती है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि हालांकि रा.ज.वि.अ के वेबसाइट पर कुछ जानकारियाँ उपलब्ध हैं, पर फिर भी इसे अधिक उपयोगकर्ता मित्रवत बनाने के लिए इसमें सुधार करने की जरूरत है। श्री ए.डी भरद्वाज, पूर्व महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने सुझाव दिया कि रा.ज.वि.अ द्वारा पूरी की गई सभी संभाव्यता रिपोर्ट रा.ज.वि.अ वेबसाइट पर पहले से ही स्थापित कर दी गई है।

अध्यक्ष को धन्यवाद देकर बैठक संपन्न हुई।

संलग्नक-1

7.04.2015 को नई दिल्ली में आयोजित (i) नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति और (ii) सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति के तृतीय संयुक्त बैठक के सहभागी।

1. नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति

- | | |
|---|---------|
| 1. श्री बी.एन नवलावाला
मुख्य सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय | अध्यक्ष |
| 2. श्री ए.डी मोहिले | सदस्य |

- पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ
3. श्री ए.सी त्यागी
महासचिव, अं.सिं.ज.आ सदस्य
4. श्री एस.एन हुद्दार
पूर्व सचिव (ज.सं.वि),
महाराष्ट्र सरकार सदस्य
5. श्री ए.डी भारद्वाज,
पूर्व महानिदेशक, रा.ज.वि.अ और पूर्व सदस्य, के.ज.आ सदस्य
6. प्रोफ़ेसर एस. इकबाल हसनैन,
सेवा-निवृत्त श्रेष्ठ पर्यावरणीय विशेषज्ञ सदस्य
7. श्री के.पी गुप्ता,
अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ सचिव

II. सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति

8. प्रोफ़ेसर पी.बी.एस शर्मा (सेवा-निवृत्त), एमेरिटस
सीईडी, आईआईटी, दिल्ली अध्यक्ष
9. प्रोफ़ेसर संजीव कपूर,
आईआईएम, लखनऊ सदस्य
10. प्रोफ़ेसर कामता प्रसाद,
अध्यक्ष, सं.प्र.आ.वि.सं, दिल्ली सदस्य
11. श्री श्रीराम वेदिरे,
सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं.मं सदस्य
12. श्री शरद के जैन,
वैज्ञानिक जी, रा.ज.सं सदस्य
13. श्री एन.सी जैन,
निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ सचिव

विशेष अतिथिगण:

1. श्री एस. मसूद हुसैन,
महानिदेशक, रा.ज.वि.अ
2. श्री आर.के जैन,
मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ
3. श्री ओ.पी.एस कुशवाह,
अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ